राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 2744/2018

महेंद्र कुमार बांगडवा पुत्र श्री छोगा राम, निवासी ग्राम बस्सी नगर बरसिंगसर, वार्ड संख्या 1, तहसील और जिला बीकानेर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य सचिव, भूमि अभिलेख विभाग, जयपुर के माध्यम से।

2. भूमि अभिलेख अधिकारी, बीकानेर।

3. एस डी ओ बीकानेर

4. परियोजना प्रमुख नेवली लिग्नाइट परियोजना बरसिंगसर, तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर।

5. उप महाप्रबंधक बरसिंगसर परियोजना नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरसिंगसर, जिला बीकानेर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (गण) के लिए: श्री विकास बिजारनिया

उत्तरदाता(गण) के लिए : श्री आई. एस. पारीक, श्री विनीत जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण व्यास के साथ

श्री एम. एस. राठौड़

माननीय **न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा**

<u>आदेश</u>

17/01/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी नौकरी के लाभ के अनुरूप नहीं है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार और खातेदारों के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, भले ही उनकी 43 बीघा 3 बिस्वा भूमि हो। खसरा नंबर 33 बी में आने वाला, जिसे विभाजन से पहले खसरा नंबर 443 के रूप में दिखाया गया था, गांव लालदेसर, बीकानेर में अधिग्रहित किया गया था।

2. पहले प्रासंगिक तथ्यों को स्पष्ट करें।

2.1 याचिकाकर्ता के पिता के पास बीकानेर के गाँव लालदेसर में पैतृक भूमि खसरा संख्या 443 और 450 थी। 1984 में, भूमि का विभाजन किया गया था और यहाँ तक कि 07.08.1984 पर एक राजस्व प्रविष्टि भी की गई थी। 1994 में, निपटान अधिकारी ने एक आदेश पारित किया जिसमें याचिकाकर्ता के पिता-चोगा राम और उनके भाई आदू राम का नाम क्रम संख्या 33 ए और 33 बी में सामने आया।

2.2 1992 में, राज्य द्वारा तीन गुना लाभ प्रदान करके विभिन्न खतेदारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। पहला था मौद्रिक मुआवजा; दूसरा था कि मरब्बा का एक हिस्सा आवंटित किया गया था और तीसरा था कि परिवार में से एक व्यक्ति को एक उपयुक्त पद पर नियुक्ति दी गई थी।

2.3 याचिकाकर्ता (तब वह खुद नाबालिग था) के पिता की जमीन भी अधिग्रहीत की गई थी और इसलिए, उसे मरब्बे का एक हिस्सा और साथ ही 4,44,176/- रुपये का मुआवजा दिया गया था।

2.4 वयस्क होने पर, याचिकाकर्ता ने अपने पिता की भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ नियुक्ति पाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि समान स्थिति वाले व्यक्तियों को भी समान लाभ दिया गया था।

2.5 इसी प्रकार पदस्थापित व्यक्तियों को तो नियुक्ति दे दी गई, लेकिन याचिकाकर्ता को नहीं दी गई। पूछताछ करने पर, यह बताया गया कि प्रेमचंद पुत्र आदु राम को पहले ही खसरा नंबर 33 (पुराना खसरा नंबर 443) के लिए नियुक्ति दी जा चुकी है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

2.6 यह याचिकाकर्ता का मामला है कि प्रतिवादी खसरा सं. 443 को एक संपूर्ण इकाई के रूप में मान रहे हैं, जबकि, इसे खसरा सं. 33 (खसरा सं. 443) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था और उन्हें अलग-अलग खसरा के रूप में चिह्नित करके दो भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात् खसरा सं. 33 ए और 33 बी। प्रतिवादी

ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि अधिग्रहण से पहले भूमि को कानूनी रूप से पक्षों के बीच विभाजित किया गया था। याचिकाकर्ता का परिवार और उसके पिता का भाई दोनों स्वतंत्र रूप से इसका लाभ प्राप्त करने के हकदार थे।इसलिए, यह रिट याचिका।

3. प्रतिवादी का रुख है कि याचिकाकर्ता के दावे में योग्यता का अभाव है। उन्होंने खसरा संख्या 33 (पहले खसरा संख्या 443) के खिलाफ किसी भी रोजगार के लिए आवेदन नहीं किया था, और उन्हें ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, यह दावा किया जाता है कि याचिकाकर्ता खसरा संख्या 33 के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहा है, जिसे याचिकाकर्ता के पिता और उसके चाचा आदुराम के बीच दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे खसरा संख्या 33 ए और 33 बी के रूप में चिह्नित किया गया है। इसलिए, खसरा संख्या 33 (पहले खसरा संख्या 443) केवल एक 'खाता' का गठन करता है, और नियुक्ति प्रक्रिया को प्रति खाता एक नियुक्ति के समझौते के अनुसार ठीक से निष्पादित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आदुराम के बेटे प्रेमचंद की सगाई हो गई है। इस प्रकार प्रतिवादी याचिका को खारिज करने की मांग करते हैं।

4. मैंने उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्रतिद्वंद्वियों की दलीलें सुनी हैं और मामले की फाइल का अध्ययन किया है।

5. मुख्य मुद्दा एक विशिष्ट प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है: क्या 1984 में दो भाइयों के बीच भूमि के विभाजन के बाद, जो पहले उसी खसरा सं. 443 के भीतर था, लेकिन बाद में राजस्व अधिकारियों द्वारा विभाजन के बाद खसरा सं. 33 ए और 33 बी के रूप में नामित किया गया था, दोनों भाइयों के परिवारों को उक्त भूमि के संबंध में सामूहिक रूप से माना जाना चाहिए या यदि विभाजन के बाद उन्हें समझौता ज्ञापन में उल्लिखित लाभों को बढ़ाने के उद्देश्य से अलग-अलग संस्थाओं के रूप में माना जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक परिवार से एक सदस्य की नियुक्ति शामिल है?

6. एस.बी. में मेरे विद्वान भाई विनीत कुमार माथुर, जे. द्वारा दिए गए समन्वय पीठ के फैसले के मद्देनजर उपरोक्त विवाद पर मेरे द्वारा दोबारा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। सिविल रिट याचिका संख्या 10457/2013 [स्वर्गीय श्री गोपाल राम बनाम। राजस्थान राज्य एवं अन्य] ने 19.05.2022 को निर्णय लिया, जिसका प्रासंगिक उद्धरण यहां नीचे दिया गया है:

“अधिग्रहण की गई भूमि के सभी खातेदारों को मुआवजे का भुगतान प्रतिवादी द्वारा किया गया है और यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता खसरा का खतेदार होने के नाते उसे भी उचित निर्णय के बाद मुआवजा दिया गया है और उसे उस भूमि का खतेदार किरायेदार माना गया है जिसका अधिग्रहण किया गया था। चूँकि उनके मामले में एक अलग निर्णय दिया गया था और खातेदारी किरायेदारों के संबंध में प्रविष्टियाँ याचिकाकर्ता की खसरा संख्या को एक अलग खाता के रूप में दर्शाती हैं, इसलिए वह अपने परिवार के एक व्यक्ति को प्रतिवादी संख्या *3* और *4* द्वारा नियुक्ति के अनुदान के लिए विचार करने का हकदार है, समझौता ज्ञापन के पैरा *9* के अनुरूप।

XXX

यह भी नोट किया गया है कि विद्वान एसडीओ और जिला कलेक्टर ने दिनांकित *03.07.2012* और *03.10.2012* पत्रों के माध्यम से समझौता ज्ञापन के अनुसरण में रोजगार देने के लिए याचिकाकर्ता के अनुकूल विचार के लिए मामले को उठाया है, निर्णायक रूप से यह दर्शाता है कि समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता के परिवार का एक सदस्य रोजगार देने के लिए विचार करने का हकदार है। यह ध्यान दिया जाता है कि खतेदारों की कुल संख्या *175* के रूप में परिलक्षित होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य प्रतिवादी की ओर से कुछ त्रुटियों के लिए केवल *174* खतेदारों को प्रतिवादी संख्या *3* और *4* से रोजगार के लाभ के अनुदान के लिए दिखाया गया था। याचिकाकर्ता को इस तकनीकी गलती का खामियाजा भुगतने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकृति के योग्य है और इसकी अनुमति है।प्रतिवादी नं. *3* और *4* को निर्देश दिया गया है कि समझौता ज्ञापन के पैरा *9* के अनुसरण में याचिकाकर्ता के मामले पर अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के समान विचार किया जाए और यदि उपयुक्त पाया जाए, तो उसके पक्ष में उपयुक्त पद पर रोजगार का आदेश जारी किया जाना चाहिए।

7. मैं अपने विद्वान भाई द्वारा उपरोक्त रूप में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हूं और मुझे कोई कारण नहीं दिखता है कि याचिकाकर्ता को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जाए।

8. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि भूमि का विभाजन बहुत पहले 07.08.1984 पर हुआ था।इतना ही नहीं, प्रतिवादी उक्त वास्तविकता से पूरी तरह से अवगत थे कि भूमि के दो अलग-अलग परिवार और दो अलग-अलग मालिक/खतेदार थे, जिन्हें उन्होंने क्रमशः खसरा संख्या 33 ए और 33 बी में अधिग्रहित किया था। उचित सत्यापन के बाद ही अधिग्रहित भूमि के क्षेत्र के अनुसार आनुपातिक मुआवजा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दो अलग-अलग मालिकों/खतेदारों को दिया गया था।

9. इस प्रकार एक बार भूमि के अलग-अलग स्वामित्व की स्थिति को स्वीकार कर लेने के बाद, यह उत्तरदाताओं के सामने पूर्वोक्त समझौता ज्ञापन के संदर्भ में लाभ नहीं देने के लिए सामने आता है।

10. एक परिणाम के रूप में, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी, विशेष रूप से उत्तरदाता संख्या 4 और 5 को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर जल्द से जल्द समझौता ज्ञापन के संदर्भ में नियुक्ति देने के लिए विचार करें, लेकिन उस तारीख से चार महीने के बाद नहीं जब याचिकाकर्ता तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ उनसे संपर्क करता है।

11. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।